

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी
बनाम

श्री मांगीलाल पिता अम्बा कुम्हार निवासी जाडाना वगैरा

प्रकरण संख्या 23/2015 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.24	<p>पत्रावली पेश हुई। निगराकार की ओर से आज भी बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं तथा न ही प्रकरण में संशोधित उनवान पेश किया। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अर्थात् निगराकार अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। विकास अधिकारी, पं. स. राशमी को प्रकरण में प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक 1515 दिनांक 05.10.2017 एवं 341 दिनांक 06.07.2022 से लिखा गया किन्तु उनके द्वारा प्रभावी पैरवी नहीं करने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है। अतः इस संबंध में जवाबदेही तय की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ बी. डी. ओ. राशमी को भेजी जावे।</p> 	